न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

करण संख्या 207/15

उनवान

1 देवकरण पिता स्व0 श्रीरामचन्द्र जाट उम्र बालिग नि0 सोलबीघा(आरजिया) तह0 व जिला भीलवाडा
2 रामलाल पिता स्व0 श्रीरामचन्द्र जाट उम्र बालिग नि0 सोलबीघा(आरजिया) तह0 व जिला भीलवाडा
3 मु0मेहताब पुत्री स्व0 श्रीरामचन्द्र जाट उम्र बालिग नि0सोलबीघा(आरजिया) तह0 व जिला भीलवाडा
4 मु0 फुमा पत्नी स्व0 श्रीरामचन्द्र जाट उम्र बालिग नि0 सोलबीघा(आरजिया) तह0व जिला भीलवाडा

–प्रार्थीगण

बनाम

1 मु0 गंगा पत्नी स्व0 ऊंकार जाट उम्र बालिग नि0 सोलबीघा (आरजिया) तह0 व जिला भीलवाडा
2 उरजन उर्फ अर्जुन पिता स्व0 श्री जीतमल जाट उम्र बालिग नि0सोलबीघा (आरजिया) तह0 व जिला भीलवाडा
3 मु0 शांता पत्नी स्व0 देवीलाल जाट उम्र बालिग नि0 सोलबीघा (आरजिया) तह0व जिला भीलवाडा
4 बरदीशंकर पिता स्व0 देवीलाल जाट उम्र बालिग नि0सोलबीघा (आरजिया) तह0व जिला भीलवाडा
5 रामकुवांर पिता स्व0 देवीलाल जाट उम्र बालिग नि0 सोलबीघा (आरजिया) तह0व जिला भीलवाडा
6 जमनालाल पिता स्व0 देवीलाल जाट उम्र बालिग नि0सोलबीघा (आरजिया) तह0व जिला भीलवाडा
7 कन्हैयालाल पिता स्व0 देवीलाल जाट उम्र बालिग नि0सोलबीघा (आरजिया) तह0व जिला भीलवाडा
8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाडा

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

दिनांक 27.10.2015 को प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त उनवान का एक वादपत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है जो काफी ठोस आधारो पर आधारित होने से अवश्यमेव स्वीकार होगा। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 7 एक ही परिवार के सदस्य है परिवार का सजरा शामिल पत्रावली है।

इस प्रकार प्रार्थीगण व विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 7 के परिवार के मुख्य पुरूष जीतमल जाट थे, जिनके चार पुत्र रामचन्द्र, उकार, उरजन उर्फ अर्जुन, देवीलाल जी हुए, जिनमें से रामचन्द्र, उंकार व देवीलाल फौत हो गये है तथा उरजन उर्फ अर्जुन जो कि विपक्षी संख्या 2 है तथा प्रार्थीगण रामचन्द्र जी के विधिक वारिसान होकर पुत्र पुत्री व पत्नी है विपक्षीगण संख्या 1 गंगा उंकार की बेवा है तथा विपक्षी संख्या 3 लगायत 7 स्व0 देवीलाल के पुत्रगण व पत्नी है।

राजस्व ग्राम आरजिया पटवार हल्का आरजिया भू–अभिलेख निरीक्षक सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा में प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 7 के संयुक्त खातेदारी हक अधिकार की खाता संख्या 205 आराजी नम्बर 1003/2 रकबा 0–02, 1302 रकबा 1–12, 1303 रकबा 0–18, 1312 रकबा 4–08, 1323/1 रकबा 2–09, 1334 रकबा 1–14, 1336 रकबा 2–19, 1654 रकबा 0–08, 1655 रकबा 0–12, 1658 रकबा 1–12 कुल किता 10 कुल रकबा 16–14 बीघा भूमि स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण का संयुक्तरूप से 1/4 हक हिस्सा तथा विपक्षी संख्या 1 का 1/4 हक हिस्सा, विपक्षी संख्या 2 का 1/4 हक हिस्सा तथा विपक्षी संख्या 3 लगायत 7 का संयुक्त रूप से 1/4 हक हिस्सा निहित है।

इसी प्रकार ग्राम आरजिया पटवार हल्का आरजिया भू–अभिलेख निरीक्षक सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा में प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 3 के संयुक्त खातेदारी हक अधिकार की खाता संख्या 207, आराजी नम्बर 1693 रकबा 0–03, 1694 रकबा 14–01, 1696 रकबा 3–01, 1706 रकबा 2–14, 1707 रकबा 6–18 कुल किता 5 कुल रकबा 26–17 बीघा भूमि कृषि आराजियात स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण का 1/2 हक हिस्सा है व विपक्षी संख्या 3 का 1/2 हक व हिस्सा निहित है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात को वादपत्र में आगे वादग्रस्त आराजीयात सम्बोधित किया जावेगा।

वादपत्र की कलम संख्या 3(क) वर्णित आराजीयात का काफी समय पूर्व ही पक्षकारान के परिवार के मुख्य पुंरुष स्व0 श्री जीतमल जी के जीवनकाल में ही पक्षकारान में आपस में बंटवारा हो चुका था और तत्समय से ही पक्षकारान अपने अपने हक हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है और प्रार्थीगण ने अपने हिस्से में आयी आराजीयात मेसे एक आराजी संख्या 1654 रकबा 0–08 बिस्वा में अपने स्वंय की लागत व श्रम से कुए का निर्माण करीब 24–25 वर्ष पूर्व करवाया और उक्त कुए का उपयोग उपभाग तन्हा प्रार्थीगण ही कर रहे है, जिसमें विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 7 का कोई लेना देना एवं हक अधिकार नही है।

इसी प्रकार वादपत्र की कलम संख्या 3(ख) में अंकित आराजीयात जिसमें प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से 1/2 हक हिस्सा तथा विपक्षी संख्या 3 मु0 शान्ता का 1/2 हक हिस्सा है का विभाजन भी हक हिससे अनुसार प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 3 के मध्य हो चुका है।

वादपत्र कलम संख्या 3 (क) व (ख) में अंकित आराजियात का पक्षकारों के मध्य आपस में बटवाडा हो चुका है, परन्तु राजस्व रेकार्ड में विभाजन नहीं होने से एवं विपक्षीगण के दुर्भावना से ग्रस्त होने से आये दिन विवाद करते रहते है, प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को कई मर्तबा वादग्रस्त आराजियात का अपने–अपने हक हिस्से व कब्जे अनुसार राजस्व रेकार्ड में विभाजन करवाने व खाते अलग–अलग करवाने की कार्यवाही

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा